::आदेश::

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 81/USDMA/792(2020)TC दिनांक 05.05.2021 के कम में दिनांक 26.04.2021 से प्रभावी **कोरोना कर्फ्यू दिनांक 10.05.2021 को प्रातः 05 बजे तक विस्तारित किया जाता है।** उक्त कोरोना कर्फ्यू सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी रहेगा।

1– कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नलिखित पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा :–

- सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
- देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मण्डी में आम जन मानस का प्रवेश वर्जित रहेगा।

2– निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनो को ही निम्नवत सशर्त छूट होगीः–

- फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट–मछली(वैध लाईसेंसधारी), अण्डे तथा पशुचारे से सम्बन्धित दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।
- राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने केवल **बृहस्पतिवार व शनिवार** को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।
- निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल **बृहस्पतिवार व शनिवार** को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर) में छूट होगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
- निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरो तथा वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।
- मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो तथा उनके वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड–19 की जॉच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।
- आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयो के कार्मिको व उनके वाहनो को आवागमन में छूट है। इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनो को नही रोका जायेगा।
- अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड–19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

अतः आदेश संख्याः 3491/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 02.05.2021 को विस्तारित व तद्विषयक पूर्व पारित आदेश दिनांकित 25.04.2021, 26.04.2021, 28.04.2021 तथा 29.04.2021 के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित/समावेशित समझा जाय। साथ ही कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय–समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 pidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय–जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 3524/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक : 05 ,मई, 2021

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
6– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन।
10–समस्त अपर जिलाधिकारी/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, जनपद–देहरादून।
11–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को जन सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।